

THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 585

23 Jyesth, 1939 (S)

Ranchi, Wednesday, 13th June, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 12th June, 2018

Notification No. -11/2018 – State Tax (Rate)

S.O. No. 41 Dated 13th June, 2018:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No.4/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. 34, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Any Chapter	Priority Sector	Any	Any
		Lending Certificate	registered	registered
			person	person

2. This notification shall be deemed to be effective from 28th May 2018.

[File.NoVaKar / GST / 05/ 2018] By the order of the Governor of Jharkhand,

Satendra Singh, Secretary-cum Commissioner.

Note: - The principal notification No.4/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. 34, dated the 29th June, 2017 and last amended by Notification No. 43/2017-State Tax(Rate) dated 14th November, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. 123, dated the 14th November, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 12 जून, 2018

अधिसूचना सं०. 11/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. 41 दिनांक 13 जून, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग, की अधिसूचना संख्या 4/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. 34, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : -

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नितिखित क्रम संखया और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा : -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	माल का आपूर्तिकर्ता	माल का प्राप्तकर्ता
1	2	3	4	5
7.	कोई भी	प्रायटी	नोई भी	कोई भी पंजीकृत
/.	अध्याय	प्रायटा सेकटर लेडिंग	पंजीकृत व्यक्ति	व्यक्ति
	जध्याय	सर्विफिकेट	नजाकृत ज्याक्त	. ज्यापत

2. यह अधिसूचना 28 मई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/05/2018] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> सतेन्द्र सिंह, सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. 34, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017- राज्य कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे एस. ओ. 123, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
